संख्या —— /XXXVI-A-1/2020–43 एक(1)/2003

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2020

विषय– मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–93/XXXVI (1)/2018–43–एक(1)/2003 दिनांक 12.04.2018 को अधिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु आबद्ध विधि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	अनुमन्य फीस दर
1	अपर महाधिवक्ता	रिटेनर फीस– ₹ 29,000 प्रतिमाह
		बहस फीस– ₹ 19,000 प्रति कार्यदिवस (मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमन्य फीस) चाहें एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये
		पुस्तकालय भत्ता– ₹ 2,000 प्रतिमाह
2	उप महाधिवक्ता	रिटेनर फीस– ₹ 21,500 प्रतिमाह
		बहस फीस– ₹ 15,000 प्रति कार्यदिवस (चाहे एक से अधिक कितने भी मामलों में बहस की जाय)
		पुस्तकालय भत्ता– ₹ 1,800 प्रतिमाह
3	ए0ओ0आर–सह स्थायी अधिवक्ता	बहस हेतु प्रति केस के लिए प्रति कार्यदिवस फीस– ₹ 5,000 (चाहे केस एकल हो या कनेक्टेड)
		बहस हेतु दो केस के लिए प्रति कार्यदिवस फीस– ₹ 6,000 (चाहे केस एकल हो या कनेक्टेड)
		बहस हेतु तीन या तीन से अधिक केस के लिए प्रति कार्यदिवस फीस – ₹ 9,000 (चाहें केस एकल हो या कनैक्टेड)
		रिटेनर फीस– ₹ 14,000 प्रतिमाह
		पुस्तकालय भत्ता–₹ 1,800 प्रतिमाह
		अधिष्ठान व्यय– ₹ 8,500 प्रतिमाह
4	पैनल अधिवक्ता	एक केस के लिए प्रति कार्यदिवस फीस– ₹ 5,000
		एक से अधिक केस के लिए प्रति कार्यदिवस फीस– ₹ 6,000

क्रमशः.....2

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0—04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014—न्याय प्रशासन—00—मतदेय—114—विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)—04—विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता—00—16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—**235/XXVII(7)/2020** दिनांक 18.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव

संख्या— ११०५ /XXXVI-A-1/2020—43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. समस्त अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड—सह स्थायी अधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. न्याय अनुभाग—2 एवं 3/वित्त अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(रीतेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव